- (b) if so, what are the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

Written Answers

41

THE MINISTER OF PETROLEUM AND GAS (SHR<sub>i</sub> NATURAL SHANKARANAND); (a) and (b) M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited have submitted a proposal for 1st stage clearance to prepare a Detailed Feasibility Report for laying a product pipeline from their Vizag refinery to Vijayawada converting a distance of about 3t5 kilometers. The same is being processed.

(c) Piles not arise.

## परती भिम को हरियालीयक्त भूमि में परिवर्तिस किया जाना

\* 571. श्री विनोद सर्माः क्या पर्या-वरण भौर वन मंही यह बताने की कुपा करेंगे कि :

- (का) क्या यह सच है कि आठवीं व जवर्षीय योजना के दौरान देश में परती भूमि को हरियाली में परिवर्तित करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य क्या है; ग्रीर
- (ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार की क्या योजना है ग्रीर इस योजना के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया

पर्यावरण ग्रौर वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सुचना एकत की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तृत कर दी जाएगी:

> सड्क सुरक्षा समितियां \* 572. श्री अजीत जोगी: चौधरी हरि सिंह:

क्या जल-मृतल परिवहन मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

10 Questions

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न रसायनों की ढ़लाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिये राज्य ग्रथवा जिला स्तर पर कोई सड़क सुरक्षा समितियां मिटिस की हैं;
- (ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा
- (ग) क्या इन रसायनों की ढुलाई करने वाले वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं; ग्रौर
- (घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्याहै?

जल-भूत परिवहन संस्रंलय के राज्य मंत्री (श्री अगदीश टोइटलर): (क् ) ग्रीर (ख) मोटर वाहन ग्रिधनियम, 1988 की धारा 215(2) और (3) के उपबंधों के श्रनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनां ने सङ्क-सूरक्षा योजनाओं भ्रौर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने श्रीर सलाह देने के लिए राज्य ग्रीर जिला स्तरीय सङ्क सूरक्षा समितियां गठित की हैं। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न रसायनों की ढलाई करते समय होने वाली दुर्घटनाभ्रों को रोकने के लिए कोई विशिष्ट समिति गठित नहीं की है।

(ग) स्रौर (घ) जी, हां। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 9 में संशोधन किया जा रहा है ताकि खतरनाक किस्म के ग्रथवा जोखिम वाले माल ढोने वाले बाहनों के चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट पाठ्य-कम निर्धारित किया जा सकें। इस नियम का मसौदा दिनांक 13 मई, 1992 के, भारत के राजपत्न, ग्रसाधारण, भाग-दो, खण्ड-3, उपखण्ड-(1) में पहले ही प्रकाशित किया जा चका है।